संख्या-2/2025/46/इक्कीस-उर्दू-2/2025

प्रेषक,

मो0 आसिम रिज़वी
अनुसचिव (भाषा)
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0/
रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें,
उ0प्र0 प्रयागराज

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक - 05 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा के संचालन के लिए गैर वेतन मद में द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: कोष/5758-64/2024-25 दिनांक: 20-02-2025 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु शासनादेश संख्या-163/इक्कीस-उर्दू-2/2024/001-21-10025-1-2023-2-10 दिनांक 09 अक्टूबर,2024 के अनुक्रम में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मानक मद-20 में द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 19,555/- (रुपये उन्नीस हजार पांच सौ पचपन मात्र)) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या- संख्या-36/2025/002-21-10025-1-2023-2-10 दिनांक 04 मार्च, 2025(छाया प्रति संलग्न है) द्वारा प्रदान की गयी हैं ।

3- उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि आवंटित धनराशि का संलग्न पत्र में इंगित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन यथाशीघ्र व्यय करते हुए एक सप्ताह के अंदर निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप पर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वित्त विभाग को समपर्ण इत्यादि की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित की जा सकें ।

संलग्नक-यथोक

भवदीय,

(मो0 आसिम रिज़वी)
अनुसचिव(भाषा)

पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांक उपरोक्तानुसार

कोषाधिकारी,उ0प्र0प्रयागराज ।

(मो0 आसिम रिज़वी)
अनुसचिव(भाषा)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।